रामेश्वरलाल बनाम राजस्थान सरकार
2025/01
निर्णय दिनांकः–03.11.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः–03.01.2025

वाद संख्याः– 2025/01

1. रामेश्वरलाल पुत्र श्री रामकरण निवासी ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री सुरेन्द्र राहड़
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88, 136
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू का स्थाई निवासी है वादी खसरा संख्या 1159/654 तादादी 0.2529 हैक्ट, खसरा संख्या 1160/654 तादादी 0.0389 हैक्ट, खसरा संख्या 1161/654 तादादी 1.7063 हैक्ट., खसरा संख्या 1165/653 तादादी 0.0253 हैक्ट., खसरा संख्या 1166/653 तादादी 1.9602 हैक्ट., खसरा संख्या 652/416 तादादी 1.9855 हैक्ट., कुल 5.9691 हैक्ट. वाके रोही बूंटिया का खातेदार है उक्त लिखे अनुसार राजस्व अभिलेख में खातेदारी सही रूप से चली आ रही है।

वादी अपने खेत में जाने वाले रास्ता ग्राम बूंटिया से भामासी जाने वाले मुख्य रोड़ से फन्ट कर खसरा नम्बर 1152/412 के उत्तरी पूर्वी कोने से होकर खेत खसरा संख्या 1164/745 से होते हुये अपने खेत में आता जाता रहता है, परन्तु राजस्व नक्शा खसरा संख्या 1152/412 तादादी 1.1740 हैक्ट. का कर रखा है, वास्तव में उक्त खसरा 0.2529 हैक्ट. का है, उक्त वादगत खसरा के उत्तरी पूर्वी कौने से ही रास्ता आम चला आ रहा है और रास्ता जिस पर ग्राम पंचायत की ओर से खुर्रा निर्माण व इन्टरलोक की सड़क बनी हुई है, उक्त रास्ता से होकर वादी अपने खेत में आवागमन करता चला रहा है, उसी मुताबिक राजस्व अभिलेख में नक्शा तरमीम किया जाना चाहिये था। उक्त खसरा संख्या 1156/412 तादादी 1.1740 हैक्ट. वास्तव में 0.2529 हैक्ट. का रहा है, लेकिन राजस्व नक्शा तरमीम करते समय सहवन से खसरा संख्या 115/412 की 0.9211 हैक्ट. भूमि उक्त खसरा भूमि में जोड़ दी गयी, उक्त अधिक जोड़ी गयी भूमि को पुनः खसरा संख्या 1158/412 तादादी 5.7689 हैक्ट. में जोड़कर खसरा संख्या 1158/412 तादादी 6.6900 हैक्ट. किया जाना न्यायोचित है, [illegible] स्थिति के अनुसार नक्शा को दुरूस्त करवाया जाना कानूनन आवश्यक है जो [illegible] एनेक्चर "ए" के मुताबिक सही दर्ज होना चाहिए था।वादी ने प्रतिवादी [illegible] के लिये प्रतिवादी को काफी बार कहा एवं प्रार्थना–पत्र आदि पेश कर निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा श्रीमान [illegible] आदेश पर ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त नक्शा दुरूस्त करने का वादी को कहा तथा दिनांक 01.01.2025 को नक्शा दुरूस्त कराने से साफ इन्कार हो गया इसलिए यही इस दावे का वाद का कारण है और वादी उक्त रास्ता भूमि से आवागमन करता है जिस कारण उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।दावा कृषि भूमि के नक्शा दुरूस्ती का है इसलिये तहसीलदार चूरू को तकमीलन पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है मगर दावा में सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने का आवश्यकता नहीं है।वादी व प्रतिवादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार निवासी है तथा वादगत कृषि भूमि वाके बूंटिया तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण वाद श्रवणाधिकार का है जिसकी मालियत 1000 रूपये तय की जाकर निर्धारित न्याय शुल्क 04 रूपये पर दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) घोषित किया जावे कि खसरा संख्या 1156/412 तादादी 1.1740 हैक्ट. को दुरूस्त किया जाकर वादगत खसरा की तादादी 0.2529 हैक्ट. की जाकर उक्त खसरा संख्या 1156/412 की शेष बची कृषि भूमि को खसरा संख्या 1158/412 तादादी 5.7689 हैक्ट. में जोड़कर खसरा संख्या 1158/412 की तादादी 6.6900 हैक्ट. घोषित की जावे तथा खसरा संख्या 1156/412 तादादी 0.2529 हैक्ट. कर इसके उत्तरी पूर्वी कोने में रास्ता का राजस्व नक्शा में अंकन किया जावे, नया नक्शा संलग्न एनेक्चर "ए" के अनुसार तरमीम किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण दुरूस्ती का होने से तहसीलदार, चूरू से रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार चूरू से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य के रूप में मूल दावा के साथ के संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार की रिपोर्ट को साक्ष्य माने जाने के निवेदन पर साक्ष्य बन्द किया जाकर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी का दावा डिक्री स्वीकार फरमाया जाकर वादी के रास्ते को मौका कमेटी रिपोर्ट व एनेक्चर ए के अनुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व तरमीम को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

जवाब में प्रतिवादी की ओर से जाहिर किया गया है कि वर्तमान में रास्ता राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार न होकर मौके पर जांच कमेटी रिपोर्ट के अनुसार विद्यमान है। वादी की खातेदारी कृषि भूमि एनेक्चर ए के अनुसार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। अतः विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी ज... प... पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन कि... से जाहिर होता है कि खसरा संख्या 1156/412 तादादी 0.2529 हैक्ट. भूमि ... की खरीद शुदा भूमि है। जिसमें राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

रिकॉर्ड में अंकित रास्ता संलग्न नक्शा अनुसार दर्ज है जबकि मौके पर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार है। जिसे वादी के लिये मौके के अनुसार दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

जांच कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट वादी व अन्य खातेदारों की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाई गई जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के खसरा संख्या 1156/452 तादादी 1.1740 हैक्ट., 1157/412 तादादी 0.1012 हैक्ट., व खसरा संख्या 1158/412 तादादी 5.7689 हैक्ट. रोही ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू है। मौके पर खसरा संख्या 1157/412 रास्ता मुताबिक रिकॉर्ड चालू न होकर मुताबिक नजरी नक्शे के अनुसार चालू है। वर्तमान में चालू रास्ते पर खुर्रा निर्माण व इन्टरलोक की सड़क बनी हुई है। राजस्व अभिलेख में कटान रास्ता पर भौतिक रूप से बहुत पहले के मकान आदि बने हुए हैं उक्त कटानी रास्ता मौके कई सालों से रिकॉर्ड के अनुसार न चलकर मौके पर उसके बगल से चल रहा है। मौके पर रास्ते पर इन्टरलोक का खुर्रा निर्माण किया हुआ है तथा आवागमन चालू है। मौके पर चल रहे रास्ते के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्व टीम द्वारा अभिलेख व मौका स्थिति जांच बाद पाया कि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उचित है। खसरा संख्या 1156/412, 1157/412 व 1158/412 का अभिलेख निम्नानुसार रकबा व तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है :–

खसरा संख्या	वर्तमान रकबा	संशोधित रकबा
1156/412	1.1740 हैक्ट.	0.2529 हैक्ट.
1157/412	0.1012 हैक्ट.	0.0506 हैक्ट.
1158/412	5.7689 हैक्ट.	6.7406 हैक्ट.

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1156/412, 1158/412 रोही ग्राम बूंटिया में खसरा नम्बर 1157/412 को परिवर्तित करवाना चाहता है उक्त खसरों के खातेदारान को दावा में वादी की ओर से पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।

इस प्रकार पत्रावली व पेश दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमियों के मध्य स्थित रास्ते को एनेक्चर ए के अनुसार दर्ज किये जाने से पहले हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई किया जाना आवश्यक जबकि वादी की ओर उक्त वादगत कृषि भूमि के के खेत खसरा नम्बर 1156/412, 1158/412 के खातेदारान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है इस प्रकार आवश्यक पक्षकारों के अभाव में दावा स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है। दावा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना व विश्लेषण के आधार दावा वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू